न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

राजेश कुमार पाण्डेय बनाम् **श्री निवास सरोत्री वगै0**

विविध वाद संख्या –96/2024

***U/S*–B. N. S. S.163**

आदेश की क्र० सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गईकार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.09.2024	(see below)	

प्रथम पक्षः–

1. राजेश कुमार पाण्डेय, पिता–देवधारी पाण्डेय, साकिन–चौधरीडीह, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. श्री निवास सरोत्री, पिता–स्व0 सरयुपाण्डेय,
2. निरंजनदेव शर्मा, पिता– स्व0 सरयुपाण्डेय,
   दोनों साकिन– चौधरीडीह, थाना– सरिया, जिला–गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनो पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने – अपने दावे के समर्थन में कारण – पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
चौधरीडीह	34	988	454 डी0	उ0–स्व0 सरयु पाण्डेय, द0–बेनी नायक, पु0–सीमाना मौजा सिंहदा प0–मुख्य सड़क।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने – अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 06.09.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. P.Suit No. 254/1940 की छायाप्रति – कुल 14 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. दानपत्र संख्या – 1158, दिनांक– 30.01.1993 की छायाप्रति – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. P.Suit No. 22/1993 की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. दिनांक 08.04.1994 के बैठक का निर्णय की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. केवाला संख्या – 617, दिनांक– 25.01.2014 की छायाप्रति – कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. केवाला संख्या – 6278/5718, दिनांक– 12.07.2014 की छायाप्रति – कुल 08 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

द्वित्तीय पक्ष

नोटिस तामिला प्राप्त, रेकड़ में सलग्न है। द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं परंतु अपने समर्थन में निबंधित डाक के माध्यम से एक लिखित आवेदन के साथ राजस्व दस्तावेज संलग्न कर भेजा गया है जो अभिलेख में संलग्न है।

1. द्वितीय पक्ष का लिखित आवेदन – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1,**
2. केवाला संख्या– 1158, दिनांक 30.01.1993 की छायाप्रति – कुल 08 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2,**
3. वीणा देवी के नाम से ऑनलाईन पंजी–2 की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3,**
4. वीणा देवी के नाम से दिनांक 24.09.2020 को निर्गत ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4,**

अंचल सरिया का प्रतिवेदन–

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक–463 दिनांक – 10.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन– 02 पृष्ठ) –प्रदर्श C-1

"उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि प्राप्त आवेदन के आलोक में उपर वर्णित खाता प्लॉट एवं रकवा के सबंध में आवेदक से पूछ–ताछ की गई उनके द्वारा बताया गया कि मेरे दादा जगदीश पाण्डेय के

06.09.2024

दो पुत्र (1) देवधारी पाण्डेय वो (2) सरयु पाण्डेय हुए। जिसमें सरयु पाण्डेय के द्वारा अपनी पत्नी वीणा देवी को दिनांक 30.01.1993 ई0 को दादा जगदीश पाण्डेय से बजरीये दानपत्र से रकबा– 4.67 ए0 भूमि हासिल कर ली गई। जिसके उपरांत देवधारी पाण्डेय एवं सरयु पाण्डेय के बीच पुश्तैनी भूमि की संपत्ति को लेकर दिनांक 08.04.1994 ई0 को ग्रामिण स्तर पर बंटवारा किया गया। साथ ही उनके द्वारा लिखित आवेदन देकर बताया गया कि दिनांक– 01.02.1994 ई0 देवधारी पाण्डेय एवं सरयु पाण्डेय का बराबर – बराबर हक हिस्सा है। अतः जब तक हिस्सा बराबर – बराबर नहीं होता है, तबतक उपरोक्त संपत्ति पर किसी भी कार्य करने पर मुझे आपत्ति है।

पुनः ऑनलाइन पंजी II पर प्लॉट दर्ज करने हेतु आवेदिका वीणा पाण्डेय, पति – स्व0 सरयु पाण्डेय के द्वारा दिये गये दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्णित भूमि आवेदिका को जगदीश पाण्डेय, पिता– स्व0 तीलो पाण्डेय से केवाला संख्या – 1158, दिनांक– 30.01.1993 ई0 बजरीये दानपत्र से हासिल है। जमाबंदी पंजी 2 के भाग संख्या – 05 पृष्ट संख्या – 176 पर कायम होकर लगान रसीद वर्ष 2023 – 24 तक निर्गत है। आवेदिका द्वारा खाता संख्या – 34, प्लॉट नं0 – 988 रकबा – 71 डी0 भूमि को प्लॉट दर्ज हेतु अंचल अमीन से वर्णित भूमि की जाँच कराई गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्लॉट संख्या – 988, रकबा – 71 डी0 भूमि को प्लॉट दर्ज हेतु अंचल अमीन से वर्णित भूमि की जाँच कराई गई। उनके द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि प्लॉट संख्या – 988 के रकबा– 71 डी0 भूमि पर आवेदिका का एक पक्का मकान, कूप एवं शौचालय निर्मित है। तथा भूमि चाहरदिवारी से घेरा है। जिसके अंदर एक विशाल बरगद एवं अन्य प्रजाति के पेड़ लगे हुए है, जिस पर आवेदिका का दखल कब्जा है। पुनः दिनांक – 03.07.2024 को आवेदक राजेश कुमार पाण्डेय के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया को, पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने के संबंध में दिये गये आवेदन में जिक्र किया गया है कि प्लॉट संख्या – 988 के लगभग 60 चौडाई एवं 260 लंबाई मेरे पिताजी के दादा का हिस्सा है जिसपर श्री निवास सर्वोत्री एवं निरंजन देव शर्मा पिता– स्व0 सरयु पाण्डेय के द्वारा जे0 सी0 बी0 मशीन लगाकर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थानीय जाँच किया। जाँच के क्रम में पाया कि निरंजन देव वगैरह के द्वारा दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या– 988, के पूर्वी भाग पर ट्रेंच काटा गया है एवं प्लॉट संख्या – 1022 के रकबा पर भी ट्रेंच काटा गया है। ऐसे में मामले का निष्पादन हेतु उभय पक्षों को अंचल कार्यालय से नोटिस निर्गत कर राजस्व दस्तावेज माँग की गई है ताकि अग्रेतर कार्यवाई की जा सके।''

<u>थाना सरिया का प्रतिवेदन–</u>

थाना प्रभारी, सरिया का पत्रांक–1302 दिनांक–04.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल– 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन– 01 पृष्ठ) –प्रदर्श-1

06.09.2024

"आवेदक राजेश कुमार पाण्डेय, पिता – देवधारी पाण्डेय, ग्राम – चौधरीडीह, थाना – सरिया, के आवेदन पत्र के आलोक में विवादित भूमि मौजा – चौधरीडीह अंतर्गत खाता नं0 – 34 प्लॉट नं0 – 988, रकबा– 454 डी0 का जाँच सशस्त्र बल विवादित भूमि पर जाकर किया। जाँच के क्रम में दोनों पक्षों से पूछने के क्रम में बताया कि उक्त भूमि वादी के वंशज के नाम का पैतृक जमीन है, जिसका घरैया बंटवारा वंशावली अनुसार पूर्व में किया गया है, परन्तु विपक्षी 1. श्री निवासी सरोत्री 2. श्री निरंजन देव शर्मा दोनों पिता– स्व0 सरयु पाण्डेय साकिन – चौधरीडीह, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह उक्त भूमि को अपने दादा द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त होना बताते है। विवादित भूमि पर विपक्षी द्वारा जे0 सी0 बी0 के माध्यम से नींव काटकर घेराबंदी किया जा रहा है। विवादित भूमि पर विपक्षी द्वारा कार्य करने से वादी द्वारा बंटवारा के आधार पर रोकने पर विपक्षी मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य जारी रखने पर दोनों पक्षों में कभी भी टकराव की स्थिति बन सकती है। जिस कारण विधि – व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। दोनों पक्ष विवादित भूमि के संदर्भ में बताये कि माननीय न्यायालय में अपना – अपना कागजात प्रस्तुत करेगें।"

<u>विश्लेष्ण एवं निष्कर्ष</u>

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण–पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि–

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
चौधरीडीह	34	988	454 डी0	उ0–स्व0 सरयु पाण्डेय, द0–बेनी नायक, पु0–सीमाना मौजा सिंहदाहा, प0–मुख्य सड़क।

2. उक्त भूमि खतियान में **तीलो पाण्डेय वो रूदो पाण्डेय, वल्द ललीत पाण्डेय के नाम पर दर्ज है;** खतियानी रैयत **तीलो पाण्डेय** के पुत्र **जगदीश पाण्डेय हुए;** जगदीश पाण्डेय के दो पुत्र हुए – **देवधारी पाण्डेय व सरयु पाण्डेय**।

   प्रथम पक्ष देवधारी पाण्डेय के वंशज हैं तथा द्वितीय पक्ष सरयु पाण्डेय के वंशज हैं।

3. **प्रथम पक्ष का दावा है कि** उक्त विवादित भूमि उनके पूर्वज तीलो पाण्डेय वो रूदो पाण्डेय, वल्द ललित पाण्डेय के नाम पर खतियान में

06.09.2024

दर्ज है तथा खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते उसमें इनका हिस्सा है, तथा इसका घरैया बटवारा पूर्व में हो चुका है और उसके अनुसार उभय पक्ष अपने – अपने हक हिस्से पर कायम काबिज हैं, परंतु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. **द्वित्तीय पक्ष का दावा है कि** उक्त भूमि, दादा – जगदीश पाण्डेय के द्वारा, केवाला संख्या –1158, दिनांक – 30.01.1993 के माध्यम से, द्वित्तीय पक्ष की माता वीणा देवी को लिख दिया गया है और उसके बाद दाखिल खारिज होकर, उक्त भूमि का लगान रसीद भी द्वित्तीय पक्ष की माता वीणा देवी के नाम से निर्गत हो रहा है, और इस आधार पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं।

अतः स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं, तथा यह विवाद उभय पक्ष के बीच आपसी बंटवारा एवं हक–हकियत से संबंधित है, जिसके संबंध में निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में उभय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

06.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

06.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.11 11:52:06 +05:30
Location: 192.168.1.2